न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।

उपस्थितः सौरभ गोयल, (एच.जे.एस.) J.O.Code –2757

सत्र परीक्षण संख्या –59/2020

राज्य बनाम सुदेश चौधरी आदि

मुकदमा अपराध सं०–2265/2019

धारा–147,302,34 भारतीय दण्ड संहिता।

थाना–साहिबाबाद, जिला–गाजियाबाद।

उपस्थितः–

1. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री विरेश त्यागी
2. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्तागण के पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक–**05–05–2023**

1– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सुदेश चौधरी, खेमचन्द उर्फ नवनीत, विशाल व शाहरूख जिला कारागार से उपस्थित एवं अभियुक्तगण तरूण त्यागी उर्फ विक्की उर्फ पिन्टू , दीपक व चाँद जरिये जमानत न्यायालय में उपस्थित हैं।

2– दिनांक 07–04–2023 में सहअभियुक्त द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि अभियुक्त जोगेन्द्र की दौरान विचारण जेल में मृत्यु हो चुकी है तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु आख्या जरिये कोर्ट मोहर्रिर जिला कारागार से दिनांक 21.04.2023 के लिए तलब की गयी थी। जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित मृत्यु आख्या पत्रांक संख्या 3980/मृत्तक बंदी/जोगेन्द्र /09/2021 दिनांकित 14–04–2023 विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रसारित कर दिनांक 15–04–2023 में न्यायालय में प्राप्त करायी जा चुकी है। मृत्यु आख्या मय दस्तावेज– मृत्यु पश्चात शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र की जेलर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति , मृत्तक बन्दी जोगेन्द्र की विसरा के परिणाम की बाबत थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद के रिपोर्ट की जेलर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० गाजियबाद E–1902 द्वारा अभियुक्त की बिसरा रिपोर्ट का परीक्षण परिणाम के संबंध में जेलर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा जेल अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु के अंतिम कारण के संबंध में प्रेषित पत्र दिनांकित 03.04.2023 की जेलर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला एम.एम.जी. चिकित्सालय, गाजियाबाद का अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु के अन्तिम कारण को ज्ञात करने के संबंध में पत्र दिनांकित 31.03.2023 की जेलर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति तथा जाँच अधिकारीगण, एम.एम.जी. चिकित्सालय गाजियाबाद द्वारा जांचोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला एम.एम.जी. चिकित्सालय, गाजियाबाद को प्रेषित पत्र दिनांकित 31.03.2023 दाखिल की गयी है। दिनांक 21–04–2023 में पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, जिस कारण आज नियत तिथि पर आदेश पारित किया जा रहा है।

3– मृत्यु आख्या दिनांकित 14–04–2023 के अनुसार विचाराधीन बन्दी जोगेन्द्र पुत्र चरन सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी कल्लुपुरा अम्बेडकर भवन, थाना सिहानीगेट, जिला गाजियाबाद

दिनांक 01.11.2019 को सत्र परीक्षण संख्या 59/2020 मुकदमा अपराध संख्या 2265/2019 राज्य बनाम सुदेश चौधरी आदि अंतर्गत धारा 147,302/34 भा०दं०सं० के मामले में कारागार में निरुद्ध हुआ था। दिनांक 24.08.2021 को समय लगभग 03:30 बजे मृत्तक जोगेन्द्र के सीने में शिकायत के कारण कारागार चिकित्सालाय में उपचार हेतु लाया गया। उपचार से मृत्तक जोगेन्द्र की दशा में अपेक्षित सुधार न होने के कारण उसे जेल एम्बुलेन्स से ऑक्सीजन सपोर्ट सहित जिला एम.एम.जी. चिकित्सालाय, गाजियाबाद उपचार हेतु भेजा गया, जहाँ विचाराधीन बन्दी जोगेन्द्र को दिनांक 24–08–2021 में ही समय लगभग 5 बजे परीक्षणोपरान्त मृत्त घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विचाराधीन बन्दी जोगेन्द्र की मृत्यु का कारण "Cause could not be ascertained hence viscera preserved." अंकित किया गया है।

4– पत्रावली का अवलोकन किया।

5– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद की मृत्यु आख्या दिनांकित 14–04–2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु दिनांक 24.08.2021 में एम.एम.जी. चिकित्सालाय, गाजियाबाद में हो चुकी है व यह अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 2265/2019 व सत्र परीक्षण संख्या 59/2020 अंतर्गत धारा 147,302,34 भा०दं०सं० के अपराध में धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वारण्ट पर जेल में निरुद्ध था व अभियुक्त की मृत्यु जेल में निरुद्ध होने के दौरान हुई है। यह मृत्यु आख्या एक लोकसेवक अधिकारी द्वारा उसके राजकीय कार्य के निर्वहन में दी गयी है व यह मृत्यु आख्या अभियुक्त जोगेन्द्र की मृत्यु के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मृत्यु पश्चात शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र, बिसरा संरक्षण आख्या तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट के साथ दी गयी है जिसमें प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या व मुकदमा अपराध संख्या दोनों उल्लिखित हैं। अलावा इसके इस सत्र परीक्षण पत्रावली में जोगेन्द्र नाम का अन्य कोई व्यक्ति आरोप पत्र में नामित अभियुक्त नहीं है। अतः जिला कारागार, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या व समर्थित दस्तावेजों के आलोक में अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र चरन सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी कल्लुपुरा अम्बेडकर भवन, थाना सिहानीगेट, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध प्रस्तुत सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित (Abate) किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र चरन सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी कल्लुपुरा अम्बेडकर भवन, थाना सिहानीगेट, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध प्रस्तुत सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित (Abate) की जाती है।

2– शेष अभियुक्तगण सुदेश चौधरी, खेमचन्द उर्फ नवनीत, विशाल, शाहरूख, तरूण त्यागी उर्फ विक्की उर्फ पिन्टू , दीपक व चाँद के विरुद्ध न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

3– साक्षी साजिद वास्ते जिरह दिनांक 10–05–2023 को उपस्थित हो।

(सौरभ गोयल)

दिनांक 05.05.2023

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–13,गाजियाबाद।